

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 6026 रकबा 0.57 है०, ख०नं० 6027 रकबा 0.77 है०, ख०नं० 6028 रकबा 1.38 है० ग्राम मलारनाचौड में श्योराम, मूल्या पिता हरला के नाम दर्ज हिस्सा 4/10 में वादी संख्या 1 को 1/10 हिस्से का, वादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/10 हिस्से का, शोराम पिता हरला को 1/10 हिस्से का एवं मूल्या पिता हरला को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि में दर्ज शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-09-2020को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( रघुनाथ )  
उप जिला कलेक्टर  
उप जिला म.ज.प.  
मलारनाचौड (स.म.प.)

